कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या – 182/2021 निर्णय दिनांक :–29.04.2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

गीता पत्नि बाबूलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी संग्रामपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थीया–

बनाम

तहसीलदार महोदय दूनी जिला टोक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

उपस्थितः–

श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता प्रार्थीया

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 128 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत किये जाने पत्थरगढी आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की कब्जे कास्त एवं खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 48 खसरा नम्बर 10 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.57 है0, खसरा नम्बर 24/1653 रकबा 0.44 है0. खसरा नम्बर 7 रकबा 1.20 है0 कुल किता–4 कुल रकबा 2.52 है0 वाके ग्राम बड़ोली पटवार हल्का बड़ोली तहसील दूनी जिला टोंक राजा में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थीया का कब्जा काश्त है। प्रार्थीया ने पूर्व मे उक्त भूमि की नाप चोप करवायी थी जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थीया एवं अडोस पडोस के खातेदारो के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। प्रार्थीया की उक्त आराजी भूमि बाबत उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिये उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी नही करवायी गयी तो मोके पर गंभीर विवाद होगा, लडाई झगडा होगा तथा अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी बढेगी। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नही है और किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नही है। प्रार्थीया नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क जमा कराने को तैयार है। आराजी भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय

को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 48 खसरा नम्बर 10 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.57 है0, खसरा नम्बर 24/1653 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 7 रकबा 1.20 है0 कुल किता–4, कुल रकबा 2.52 है0 वाके ग्राम बडोली तहसील दूनी जिला टोक राज0 की पत्थरगढी किये जाने हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय, दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार ने जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः–उक्त प्रकरण में वर्णित आराजी ग्राम बडोली ख. नं. नंबर 10, 24, 24/1653 एवं 7 आवेदन की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है और ख. नं. पर लगभग 0.25 हेक्टर भूमि ग्राम कनवाड़ा बड़ोली मार्ग में लगवा स्थित है पर अन्य पड़ोसी कृषको का कब्जे काश्त है, शेष ने खसरा नमबरान पर खातेदार का ही पूर्ण कब्जा काश्त है। हां आवेदन का अन्य पड़ोसी खातेदारों से सीमा विवाद है। उक्त वर्णित आराजी आवेदक के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। किसी प्रकार का विरासत का नामांकन अवशेष नहीं है। आवेदक का जिनसे सीमा विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी के संबंध में किसी न्यायालय से स्थगन नहीं है। आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नहीं है। पूर्व में सीमा ज्ञान नहीं हुआ है हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा. पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पेरोकार सरकार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम बड़ोली तहसील दूनी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है परन्तु विवादित आराजी में ख. नं. 7 पर लगभग 0.25 है0 भूमि पर अन्य पड़ोसी कृषको का कब्जेकाश्त है और शेष वर्णित आराजी पर खातेदार का ही पूर्ण कब्जाकाश्त है। अतः ख. नं. 7 पर पूर्ण कब्जाकाश्त नहीं होने से व अन्य शेष विवादित ख नं. पर पूर्ण कब्जाकाश्त होने से प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है।

आदेश

तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2074–77 भूमि खाता संख्या 48 खसरा नम्बर 10 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.57 है0 व ख. नं. 24/1653 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम बड़ोली तहसील दूनी जिला टोंक की आराजी की विधिवत पत्थरगढी प्रार्थी का कब्जा होने पर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कर, प्रार्थीगण व अन्य गवाहान की उपस्थिति में की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 29.04.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली